

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद
जिला—भिण्ड
 (समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 05/2016

संस्थापन दिनांक 18/03/2016

फाइलिंग नंबर—230303003532016

1. संतोष सिंह आयु 45 साल
2. धर्मेन्द्र सिंह आयु 42 साल
3. हरेन्द्र सिंह आयु 40 साल
 पुत्रगण जवाहरसिंह जाति जाटव
 निवासीगण ग्राम जनकपुरा,
 परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. म०प्र० शासन द्वारा— श्रीमान कलेक्टर भिण्ड

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

न्यायालय—सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक, गोहद द्वारा
 व्यवहार वाद क्रमांक—136/15ए०ई०दी० में पारित आदेश दि० 19/02/16
 से उत्पन्न सिविल अपील।

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधिवक्ता
 प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर ए०जी०पी०।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 02 नवंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह अपील सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक—138/15 ए०ई०दी० में दि—19/02/16 को पारित निर्णय से व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण का मूल वाद खारिज किया है, जिसमें वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि का स्वत्व, आधिपत्यधारी होने की घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई थी।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है, कि स्वर्गीय पंचमसिंह वादीगण/अपीलार्थीगण के पितामाह थे, यह भी स्वीकृत है, कि विवादित भूमि के आस-पास शासकीय भूमि है।
3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण वाद संक्षेप में इस प्रकार का रहा है, कि मौजा जनकपुरा परगना गोहद में भूमि सर्वे कं०-278/1 रकवा 0.94 हैक्टे० एवं सर्वे कं०-278/2 रकवा 0.94 हैक्टे० के वादीगण स्वत्व व आधिपत्यधारी है। उपरोक्त भूमि सर्वे कं०-346 रकवा 1.88 हैक्टे० था उक्त भूमि वादीगण के पितामाह पंचमसिंह ने जमींदारी काल में जमींदार से संवत् 2007 मिति ज्येष्ठ सुदी 10 को पट्टे पर जोती थी, तब से जब तक पंचमसिंह जीवित रहे वादग्रस्त भूमि पर खेती करते रहे। वादग्रस्त भूमि कभी भी बंजर एवं चरनोई के रूप में नहीं रही है। वादीगण के पितामाह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02/09/93 को वादग्रस्त भूमि का वसीयतनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित किया था, एवं पंचम सिंह की मृत्यु के पश्चात् वादीगण वादग्रस्त भूमि पर निरंतर निर्विघ्न रूप से खेती करते चले आ रहे हैं सन् 1997 में वादीगण के पितामाह पंचमसिंह का स्वर्गवास हो गया था, तब से अब तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण निरंतर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं, जमींदारी समाप्ति के बाद म०प्र० शासन द्वारा वादी के पितामाह का कब्जा नहीं माना गया वादीगण के पितामाह के नाम का इंद्राज वादग्रस्त भूमि पर सन् 1984 से ही होता चला आ रहा है तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के बनाए गए नियम के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी है तथा वादीगण के नाम विवादित भूमि का इंद्राज किया जाना न्यायोचित है वर्तमान में म०प्र० शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि किसी भी वर्ग का भूमिहीन व्यक्ति यदि शासकीय भूमि पर काबिज है, तो शासन उचित प्रीमियम लेकर कब्जाधारी व्यक्ति को भूमि स्वामी स्वत्व दे देगा। इस अनुसार भी वादीगण/अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि का स्वत्वधारी है, दिनांक 20/07/14 को वादी को पटवारी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खेती करने से मना किया गया, तब वादीगण/अपीलार्थीगण को यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि उनके नाम इंद्राज नहीं है बल्कि म०प्र० शासन के नाम इंद्राज अंकित किया जा रहा है। जिसके संबंध में वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत वादीगण/अपीलार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खाजिर किया है जिससे व्यथित होकर वादीगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 136/15 ए०ई०दी० में घोषित निर्णय व डिक्री दिनांक 19/02/16 को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए आवेदनपत्र का उत्तर देते हुए यह व्यक्त किया है, कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्वत्व व आधिपत्य नहीं है, वादग्रस्त भूमि शासन के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है, शासकीय भूमि की वसीयत करने का अधिकार किसी को नहीं है, यदि कोई व्यक्ति बिना स्वत्व के वसीयत निष्पादित कर देता है, तो उसके वारिसान को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी स्वत्व व आधिपत्य धारी है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा असत्य आधारों पर अपील प्रस्तुत की है, जो निरस्ती योग्य है।
5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 19/02/16 को घोषित निर्णयानुसार वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, वादीगण/अपीलार्थीगण को विवादित भूमि विरासत में प्राप्त हुई थी, उपरोक्त भूमि को वादीगण/अपीलार्थीगण के दादा पंचमसिंह ने जमींदार से पट्टे पर जोती थी तथा जब तक वह जीवित रहा तब तक वह उस पर कृषि करता रहा और उक्त भूमि कभी भी चरनोई या बंजर नहीं रही है। पंचमसिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 02/09/93 को उक्त भूमि की वसीयत वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में कर दी थी और उन्हें म०प्र० शासन के नियमानुसार भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गए है शासन केवल प्रीमियम प्राप्त करने का अधिकारी है और वादीगण/अपीलार्थीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में प्र०पी०-04 लगायत प्र०पी०-06 के खसरे व तहसीलदार का नोटिस प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्र०पी०-15, पंचनामा प्र०पी०-16, वसीयतनामा प्र०पी०-18 पेश किए जिनसे वादप्रश्न क्र०-01 पूर्णतः प्रमाणित हुआ है तथा वसीयतनामों के साक्षीगण ने उसे पूर्णरूप से प्रमाणित किया है, किंतु प्र०पी०-18 के वसीयतनामे को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने शून्य व प्रभावहीन माना है तथा, खसरा प्रविष्टियों में भी वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता जवाहरसिंह का फसल करने का इंड्राज है, जो प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि पटवारी द्वारा अंकित किया गया है, जिसे अप्रमाणित मानने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर विधिक भूल की है। यह भी आधार लिया है, कि प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी सक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है और वादी ने अपना वाद संपूर्ण साक्ष्य से प्रमाणित किया है फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निरस्त करने में विधिक भूल की है अतः उपरोक्त आधारों पर वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 19/02/16 को निरस्त किया जाकर मूल वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

6. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 19/02/16 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”
2. “क्या अपीलार्थीगण/वादीगण का मूल वाद डिक्री किये जाने योग्य है ?”

निष्कर्ष के आधार

7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों अंतिम तर्कों में मुख्य रूप से इस बिन्दु पर बल दिया है, कि स्वर्गीय पंचमसिंह जो वादीगण/अपीलार्थीगण के पितामाह थे, उन्होंने जमींदारी काल में तत्कालीन जमींदार से विवादित जमीन को ज्येष्ठ सुदी 10 संवत् 2007 में पट्टे पर भूमि जोती थी और पंचमसिंह अपने जीवन पर्यन्त उक्त विवादित भूमि पर काबिज कास्त रहे, फसल लाभ लेते रहे, उन्होंने भूमि को उन्नत बनाया तथा विवादित भूमि कभी भी बंजर या चरनोई की नहीं रही और शासन, प्रशासन एवं आम जनता की जानकारी में खुले रूप से निरंतर भूमि पर वे काबिज कस्त चले आ रहे हैं। उनके पितामाह पंचमसिंह का वर्ष 1997 में निधन हुआ था, किंतु उसके कई वर्ष पूर्व पंचमसिंह ने दिनांक 02/09/93 को उनके हक में वसीयतनामा संपादित किया था, जो पंचमसिंह की मृत्यु के बाद प्रभावी हो गया है, जिसके आधार पर वादीगण/अपीलार्थीगण विवादित भूमि के भूमिस्वामी आधिपत्यधारी है।
9. वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है, कि राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों ने गलत रूप से इंड्राज करते समय उनका नाम छोड़ दिया है, जबकि स्वर्गीय पंचमसिंह का इंड्राज सन्-1984 से होता चला आ रहा है और सन्-1984 के पूर्व से किसी भी शासकीय भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को भूमि स्वामी का स्वत्व उद्भूत हो जाता है, इसलिए भी विवादित भूमि वादीगण/अपीलार्थीगण के स्वामित्व की हो गई है और शासन केवल उचित प्रीमियम लेकर आधिपत्यधारी व्यक्ति को स्वत्वाधिकार दे सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं साक्ष्य के विपरीत जाकर वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद को निरस्त करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है और साक्ष्य का उचित

मूल्यांकन नहीं किया है, तथा वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया था। इसलिए आलोच्य निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और प्रस्तुत सिविल अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय व डिक्री को अपास्त कर मूल वाद डिक्री किया जावे।

10. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से विद्वान ए०जी०पी० ने अपने तर्कों में वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए मूलतः यह बताया है, कि विवादित भूमि शासकीय भूमि है, वादीगण/अपीलार्थीगण का ना तो उस पर कोई आधिपत्य है, ना स्वत्व है और पंचमसिंह विवादित भूमि के वास्तविक स्वामी नहीं थे और उन्हें वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था और बिना अधिकार की गई वसीयत मूल्यहीन है, जिसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे विधि सम्मत हैं और वाद शासकीय भूमि हडपने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, इसलिए प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील को सब्यय निरस्त किया जावे।

11. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के लिखित व मौखिक तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, वाद की प्रकृति पर भी विचार किया गया वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व निर्णित सिविल वाद क्रमांक 136/15ए०ई०दी० निर्णय दिनांक 19/02/16 को चुनौती देते हुए, जमींदारीकाल से पूर्वजों के समय से काबिज कास्त होने से विधि के प्रावधानों के तहत स्वत्वाधिकार प्राप्त हो जाने एवं प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भी शासन के विरुद्ध स्वत्व अर्जित हो जाने के आधार पर मूल वाद प्रस्तुत किया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1954 भाग-01 एम०पी०जे०आर० पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर यह विदित होता है, कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने प्र०पी०-18 की सादा वसीयत के आधार पर स्वर्गीय पंचम सिंह को मूल स्वामी बताते

हुए स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा का वाद राज्य के विरुद्ध पेश किया था, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया है, कि विवादित भूमि शासकीय भूमि है और स्व० पंचमसिंह का उस पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं था इसलिए पंचमसिंह को वादग्रस्त भूमि की वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था, ना ही वादीगण/अपीलार्थीगण का प्रतिकूल आधिपत्य का आधार प्रमाणित माना, इसलिए यह मूल्यांकित करना होगा, कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को विश्लेषित करते हुए विधि सम्मत निष्कर्ष निकाले है, या विधि या तथ्य संबंधी कोई त्रुटि निष्कर्ष निकालने में की है।

13. अभिलेख पर केवल वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से ही मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी/अपीलार्थी हरेन्द्रसिंह वा०सा०-01 के रूप में उदयभान वा०सा०-02 के रूप में तथा धनसिंह वा०सा०-03 के रूप में परीक्षित कराते हुए, प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-18 के दस्तावेज पेश किए है, यह सही है, कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राज्य की ओर से कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, किंतु वादी साक्षियों पर प्रतिपरीक्षा करते हुए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को चुनौती अवश्य दी गई है। यह सुस्थापित विधि है, कि प्रत्येक सिविल वाद का निराकरण प्रबल संभावनाओं के आधार पर किया जाता है, इसलिए विचाराधीन अपील में संभावनाओं का संतुलन किसके पक्ष में है यह देखना होगा, यह भी सुस्थापित सिविल प्रथा है, कि वादी को अपना वाद स्वयं की सामर्थ से प्रमाणित करना होता है और वह प्रतिवादी की किसी भी प्रकार की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **दुल्हेसिंह विरुद्ध जुझार सिंह 1995 भाग-02 एम०पी०डब्लू०एन शॉर्टनोट 170** में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है। इसलिए वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद आधार केवल इस कारण प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, कि खण्डन साक्ष्य का अभाव है, बल्कि ऐसी दशा में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन अवश्य अपेक्षित हो जाता है।

14. वादीगण/अपीलार्थीगण को उनके द्वारा उठाए आधारों के परिपेक्ष्य में तभी कोई सहायता प्राप्त हो सकती है, जबकि यह सृदृढता से स्थापित हो कि स्वर्गीय पंचमसिंह विवादित सम्पत्ति के वास्तविक मूल स्वामी थे और उनके द्वारा अपनी सम्पत्ति का उचित रीति से वसीयतनामा वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया।

15. वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा मूल वाद में दो प्रकार की स्वत्व घोषणा के लिए आधार लिए है, उनका पहला आधार पंचमसिंह से प्राप्त वसीयत है, जिसके संबंध में उन्होंने यह अभिवचन और साक्ष्य पेश की है, कि पंचमसिंह ने जमींदारी काल में जमींदार से भूमि पट्टे पर

संवत् 2007 में जोती और जब से लेकर जीवन पर्यन्त अर्थात् सन्-1997 में पंचमसिंह की मृत्यु होने तक वे निरंतर काबिज कास्त रहे, जैसा कि वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत तीनों साक्षियों अर्थात् हरेन्द्रसिंह वा०सा०-01, उदयभानसिंह वा०सा०-02 और धनसिंह वा०सा०-3 ने अपने-अपने अभिसाक्ष्य में बताया है, किंतु अभिलेख पर प्र०पी०-01 लगायत प्र०पी०-18 के जो दस्तावेज पेश हैं उनमें कोई भी दस्तावेज इस प्रकृति का नहीं है, जो स्व० पंचमसिंह को जमींदारी काल में या संवत् 2007 में विवादित भूमि पट्टे पर या लगान पर तत्कालीन जमींदार से प्राप्त करना स्थापित करता हो। संवत् 2007 में अर्थात् जमींदारी उन्मूलन विधान 1951 के प्रभावशील होने के पूर्व कोई का कोई प्रमाण नहीं है और अभिलेख पर इस संबंध में कोई अभिवचन व साक्ष्य नहीं है, कि पंचमसिंह ने किस जमींदार से भूमि पट्टे पर प्राप्त की थी, ना ऐसा कोई प्रमाण है, कि जिस व्यक्ति से भूमि पंचमसिंह ने प्राप्त की वह भूमि उसी जमींदार के अधिकार की थी, अर्थात् जमींदारी काल में भूमि पट्टे पर पंचमसिंह द्वारा प्राप्त किए जाने की कोई सृष्ट आधार अभिलेख पर नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम तो यही प्रमाणित नहीं होता है, कि पंचमसिंह ने जमींदारी काल में विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त की थी। प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के नोटिस जिन्हें नायब तहसीलदार गोहद वृत्त देहगांव एवं तहसीलदार गोहद के द्वारा धारा-248(1) मध्यप्रदेश भू राज्य संहिता 1959 के अंतर्गत जारी किए गए थे, जिनमें अवैध कब्जा बताया गया था और उक्त प्रावधान के तहत दण्डित किए जाने और बेदखल किए जाने हेतु नोटिस भेजे गए थे, उनके आधार पर ऐसी कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है, कि स्व० पंचमसिंह का निरंतर आधिपत्य रहा हो, बल्कि प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के उक्त नोटिस वादीगण/अपीलार्थीगण या स्व० पंचमसिंह को नहीं दिए गए, बल्कि उक्त नोटिसों के अवलोकन से वादीगण/अपीलार्थीगण के पिता जवाहरसिंह को उक्त नोटिस दिए गए, अर्थात् नोटिसों से यह स्पष्ट होता है, कि अतिक्रमक के रूप में भी कब्जा ना तो वादीगण/अपीलार्थीगण का कभी रहा, ना ही स्व० पंचमसिंह का कभी रहा, बल्कि जवाहर सिंह और रमेशसिंह पुत्रगण पंचमसिंह का रहना परिलक्षित होता है, जिनके विरुद्ध अतिक्रमक के रूप में बेदखल किए जाने और अर्थदण्ड की कार्यवाही समय-समय पर की गई।

16. प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के नोटिस सन् 1983 से सन् 1997 की अवधि के दौरान के हैं, जिस अवधि में स्वयं वादीगण/अपीलार्थीगण के अभिवचनों और साक्ष्य मुताबिक पंचमसिंह जीवित था, जिसे कभी कोई नोटिस नहीं मिला, इससे पंचमसिंह के काबिज होने की कोई उपधारणा नहीं बनती है, ना ही उक्त नोटिसों के आधार पर स्व० पंचमसिंह के निरंतर खुले रूप से बिना बाधा के भूमि आधिपत्य में चले आने की पुष्टि होती है, इसलिए स्व० पंचमसिंह को

वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई हक या अधिकार या स्वामित्व होना कतई स्थापित नहीं होता है, इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की पंचमसिंह विवादित भूमि का स्वत्वधारी नहीं था, उचित रूप से निष्कर्षित किया जाना परिलक्षित होता है।

17. प्र०पी०-04 लगायत प्र०पी०-06 का खसरा पंचशाला भी यह स्थापित नहीं करता है, कि पंचमसिंह लगातार काबिज बना रहा हो, जिससे उसे स्वत्व अर्जित हुए हों, क्योंकि प्र०पी०-06 का खसरा संवत 2038 लगायत 2042 का है, प्र०पी०-05 का खसरा संवत 2043 लगायत 2047 की अवधि का है, तथा प्र०पी०-04 का खसरा संवत 2067 लगायत 2071 का है, जिनमें जवाहरसिंह और रमेशसिंह पुत्रगण पंचमसिंह के फसल बोने का उल्लेख किया है, ना कि पंचमसिंह का, और उसमें भी अंतराल है, तथा फसल बोने की प्रविष्टि अतिक्रामक के रूप में है और अतिक्रामक को स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्र०पी०-04 लगायत प्र०पी०-06 के दस्तावेजों से वादीगण/अपीलार्थीगण के पूर्वज रहे पंचमसिंह का स्वत्वधारी होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, तथा राजस्व अभिलेख पर छुटपुट प्रविष्टियां स्वत्व प्रदान नहीं करती हैं, जैसा कि न्याय दृष्टांत **इस्माइल विरुद्ध म०प्र० राज्य 1999 आर०एन० 170** में भी सिद्धांत प्रतिपादित है, ऐसी स्थिति में भी पंचमसिंह का वास्तविक भूमि स्वामी नहीं होने का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष अवैधानिक नहीं माना जा सकता है, बल्कि उक्त खसरा अभिलेख में भूमि चरनोई के रूप में दर्ज है, प्र०पी०-03 रीनेवरिंग सूचि केवल इस बात का प्रमाण है, कि विवादित भूमि जिनका वर्तमान सर्वे क्रमांक 278/01 रकवा 0.94 हैक्टे० और सर्वे कं 278/2 रकवा 0.94 हैक्टे० है, उनका पूर्व सर्वे कं०-346 था, लेकिन सर्वे कं०-346 की भूमि पर पंचमसिंह कभी काबिज रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से वा०सा०-01 लगायत वा०सा०-03 की ओर से दिया गया इस आशय का मौखिक अभिसाक्ष्य कि वादीगण/अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर अपने पूर्वज पंचमसिंह के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी कबिज कास्त चले आ रहे है, यह प्रमाणित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्र०पी०-18 की वसीयत कतई प्रमाणित नहीं होती है, और प्र०पी०-18 के पंचसाक्षी उदयसिंह वा०सा०-02 और धनसिंह वा०सा०-03 का अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

18. प्र०पी०-18 का दस्तावेज वादीगण/अपीलार्थीगण ने वसीयतनामा बताकर पेश किया है, जिसकी शब्दवली को देखा जाए तो प्र०पी०-18 का दस्तावेज मिश्रित प्रकृति से परिपूर्ण है, जो एक ओर तो पंचनामे की प्रकृति दर्शाती है और दूसरी ओर वह अन्य किसी के हिस्सेदार ना होने के घोषणापत्र के रूप में है और उसे वसीयतनामे की शकल दी गई है, ऐसे दस्तावेज को विशुद्ध रूप से वसीयतनामे की प्रकृति का दस्तावेज होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज की शब्दावली

से ही उसका अर्थान्वयन होता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत **मनोहर लाल विरूद्ध सुगनचंद 1977 एम०पी०एल०जे० शॉर्ट नोट 58** में प्रतिपादित किया गया है, और विचाराधीन मामले में तो स्व० पंचमसिंह का कोई स्वात्वाधिकार होना की प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसे में तो प्र०पी०-18 को वसीयतनामा कहा भी जाए तो उसका कोई विधिक मूल्य नहीं है।

19. प्र०पी०-15 के रूप में दिनांक 02/02/13 का पटवारी प्रतिवेदन जिसमें हरेन्द्र का अतिक्रामक के रूप में कब्जा उल्लेखित किया गया है, वह भी इस बात का प्रमाण नहीं है, कि हरेन्द्र आदि पूर्वजों के समय से पीढी दर पीढी विवादित भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, बल्कि अतिक्रामक के रूप में ही हरेन्द्र के कब्जे को ही चुनौती भी पूर्व में नहीं दी गई है, इससे भी मूल वाद आधार खण्डित होते हैं।

20. प्र०पी०-16 ग्रामीणों का पंचनामा दिनांक 11/02/13 का है, जिसमें इस बात का उल्लेख तो किया गया है, कि विवादित भूमि पर वादीगण/अपीलार्थीगण अपने पितामाह पंचमसिंह के समय से पीढी दर पीढी काबिज कास्त चले आ रहे हैं, जिसमें पहले उनके पितामाह पंचमसिंह तथा पिता काबिज थे वर्तमान में वादीगण/अपीलार्थीगण है, पंचनामा स्वत्व का आधार नहीं होता है, कृषि योग्य भूमि का राजस्व अभिलेख संधारित होता है, और राजस्व अभिलेख में कब्जाधारी या स्वामित्वधारी का इंड्राज किया जाता है, उसके स्थान पर ग्रामीणों का पंचनामा कोई विधिक हैसियत नहीं रखता है, इसलिए प्र०पी०-16 से भी वादीगण/अपीलार्थीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है और उदयभान सिंह वा०सा०-02 और धनसिंह वा०सा०-03 के अभिसाक्ष्य से भी पंचनामे को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसका कोई विधिक मूल्य उक्त परिस्थितियों में नहीं है। प्र०पी०-17 के रूप में वादी/अपीलार्थी हरेन्द्र का अतिक्रमण संबंधी राजस्व प्रकरण में दिया गया कथन भी स्वत्व का आधार नहीं है, ऐसे में प्र०पी०-03 लगायत प्र०पी०-18 के दस्तावेजों से वादीगण/अपीलार्थीगण के मूल वाद आधारों को कोई बल प्राप्त नहीं होता है और प्र०पी०-01 धारा-80 सी०पी०सी० के तहत दावा पूर्व दिया गया नोटिस और प्र०पी०-02 उसकी डाक रशीद है।

21. वादीगण/अपीलार्थीगण के वाद आधार भी विरोधाभाषी है, एक ओर तो वे अपने पितामाह के समय से पीढी दर पीढी काबिज चले आने और जमींदारीकाल में जमींदार से पट्टे पर भूमि प्राप्त होने से मध्यप्रदेश भूमि राज्य संहिता 1959 के प्रावधान प्रभावशील होने पर विधिक रूप से स्वत्व अर्जित हो जाना बताते हैं, अर्थात् वे विवादित भूमि पर अपना अनुमत कब्जा (Permesive possession) बताते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व आर्जित हो जाने के अभिवचन व साक्ष्य दिए गए हैं, प्रतिकूल आधिपत्य के आधार

पर स्वत्व अर्जित करने के लिए निजी भूमि की दशा में 12 वर्ष, शासकीय भूमि की दशा में 30 वर्ष का दृश्यमान आधिपत्य निरंतर बिना किसी अवरोध के संबंधित की जानकारी में चले आने पर पूर्ण होता है, जबकि विचाराधीन मामले में ऐसा नहीं है, ना तो निरंतर कब्जे की प्रविष्टियां हैं और ना ही जिस अवधि में कब्जा पाया गया है, उस अवधि में बिना किसी बाधा के कब्जा होने की पुष्टि है, क्योंकि प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के धारा-248 (1) एम०पी०एल०आर०सी० के नोटिस जारी होना इस बात का प्रमाण है, कि कब्जा शांतिपूर्ण नहीं है, बल्कि अतिक्रमक के रूप में रहा, जिसे समय-समय पर बेदखल करने की कार्यवाही भी की जाती रही और वादीगण/अपीलार्थीगण ने भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है, कि उक्त प्रावधान के तहत कोई अर्थदण्ड नहीं हुआ या बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के नोटिस भी ना तो पंचमसिंह को दिया गया ना वादीगण/अपीलार्थीगण को दिया गया, बल्कि जवाहरसिंह और रमेशसिंह को दिया गया, जो प्रकरण में पक्षकार ही नहीं हैं, इसलिए प्रतिकूल आधिपत्य (Adverse possession) का आधार भी स्पष्ट नहीं होता है।

22. प्र०पी०-07 लगायत प्र०पी०-14 के नोटिसों में केवल पूर्व सर्वे नंबर 346 का ही उल्लेख नहीं है, बल्कि अन्य सर्वे नंबर 26, 32, 35, 62 और 64 का भी उल्लेख है, अर्थात् विवादित भूमि के अलावा अन्य भूमियों पर भी जवाहरसिंह और रमेशसिंह का अतिक्रमण रहा था यह भी उपधारित होता है, इससे वादीगण/अपीलार्थीगण का यह आधार भी खण्डित हो जाता है, कि राज्य शासन के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सन् 1984 के पूर्व से किसी भी शासकीय भूमि पर कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिस्वामी के स्वत्व उद्भूत हो जाते हैं और राज्य केवल उचित प्रीमियम ही ऐसे कब्जाधारियों से प्राप्त कर सकता है, तर्कों के दौरान भी ऐसे कोई नियम या विधि के प्रावधान अपीलार्थी/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं दिए गए, जो कि वादीगण/अपीलार्थीगण को स्वत्व उद्भूत करने में सहायक हों और वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से इस आशय के अभिवचन भी नहीं किए गए हैं, कि उन पर कोई भूमि नहीं है, और वे भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, बल्कि अभिवचनों में इस आशय की घोषणा की गई है, कि सिलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है, अर्थात् विवादित भूमि से भिन्न भूमि उनके पास होने की उपधारणा प्रबलता से परिलक्षित होती है, यह भी मूल आधारों को खण्डित करती है, इसलिए ऐसी दशा में वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी राज्य की ओर से कोई साक्ष्य पेश ना किए जाने के आधार पर वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में ऐसी कोई सकारात्मक उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है, कि मूल आधार स्थापित हों।

23. इस प्रकार से वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील में उठाए गए बिन्दुओं और लिए गए आधार कोई विधिक महत्व नहीं रखते हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य मानने से इन्कार कर वाद खारिज करने में कोई तथ्य संबंधी या विधि संबंधी भूल या त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील में विधिक बल ना होने से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री को यथावत रखते हुए अपील बाद विचार सारहीन मानते हुए सव्यय निरस्त की जाती है।

24. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वादीगण/अपीलार्थीगण अपने प्रकरण व्यय के साथ-साथ प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का प्रकरण व्यय भी वहन करेंगे, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किए जाने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो वह जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक— 02 नवंबर 2016

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड